**GOVERNMENT OF INDIA** 



# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY साप्ताहिक

#### WEEKLY

सं. 26] No. 26] दिल्ली, जुलाई 1—जुलाई 7, 2011, बृहस्पतिवार/आषाढ़ 10—आषाढ़ 16, 1933 DELHI, JULY 1—JULY 7, 2011, THURSDAY/ASADHA 10—ASADHA 16, 1933 [ता.रा.स.से.दि. सं. 82, 85] [N.C.T.D. No. 82, 85]

भाग—IV PART-IV

भाग-। में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएं Notifications of Departments of the Government of the National Capital Territory of Delhi other than Notifications included in Part-I

> राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्यालय मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकरण

आदेश

दिल्ली, 6 जुलाई, 2011

सं. फा. 10 (1967)/मु. स. ( मुख्या. )/स.शु./14212.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री अर्थ एजुकेशन वैली प्रा. लि., ए-95, अशोक विहार, फेज-II, नई दिल्ली-110 052 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,20,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 300001 से 420000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 12,000 (रुपये बारह हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

### OFFICE OF THE CHIEF CONTOLLING REVENUE AUTHORITY

**ORDER** 

Delhi, the 6th July, 2011

F. No. 10 (1967)/COS(HQ)/Cons. Duty/14212.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Earth Education Valley Pvt. Ltd., A-95, Ashok Vihar, Phase-II, New Delhi-110 052 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 12,000 (Rupees twelve thousand) only on the aggregate value of shares of ₹ 1,20,00,000 for issue of equity shares bearing distinctive Nos. 300001 to 420000 to be issued by the said company.

2526 DG/2011 (169)

सं फा. 10 (1957)/मु. स. ( मुख्या. ) / स.शु. / 14213. — गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री प्रीमियर इन इण्डिया प्रा. लि., ए-266, भू-तल, डिफेन्स कॉलोनी, नई दिल्ली-110 024 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 22,39,99,985 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 49619691 से 53692417 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 2,24,000 (रुपये दो लाख चौबीस हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (1957)/COS(HQ)/Cons. Duty/14213.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Premier Inn India Pvt. Ltd., A-266, Ground Floor, Defence Colony, New Delhi-110 024 shall pay a consolidated stamp duty of ₹2,24,000 (Rupees two lakh twenty four thousand) only on the aggregate value of shares of ₹22,39,99,985 for issue of equity shares bearing distinctive Nos. 49619691 to 53692417 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1958) /मु. स. (मुख्या.) /स.शु./14214.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री पेलिकन प्रोडक्ट्स एण्ड सर्विसेज इण्डिया प्रा. लि., बी-376, तीसरी मंजिल, निर्माण विहार, नई दिल्ली-110 092 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 5,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 01 से 50000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 500 (रुपये पाँच सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (1958)/COS(HQ)/Cons. Duty/14214.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Pelican Products and Services India Pvt. Ltd., B-376, 3rd Floor, Nirman Vihar, New Delhi-110 092 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 500 (Rupees five hundred) only on the aggregate value of shares of ₹ 5,00,000 for issue of equity shares bearing distinctive Nos. 1 to 50000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1956)/मु. स. ( मुख्या. )/स.शु./14215.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री नोर्नर मिमिर इण्डिया प्रा. लि., बी-376, तीसरी मंजिल, निर्माण विहार, नई दिल्ली-110 092 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 5,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 01 से 50000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 500 (रुपये पाँच सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (1956)/COS(HQ)/Cons. Duty/14215.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Norner Mimir India Pvt. Ltd., B-376, 3rd Floor, Nirman Vihar, New Delhi-110 092 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 500 (Rupees five hundred) only on the aggregate value of shares of ₹ 5,00,000 for issue of equity shares bearing distinctive No. 01 to 50000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1965)/मु. स. ( मुख्या. )/स.शु./14216.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री सारे सामग रीयल्टी प्रा. लि., बी-67, सिरता विहार, नई दिल्ली-110 044 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 2,00,76,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 52583459 से 54591058 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 20,076 (रुपये बीस हजार छिहत्तर) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (1965)/COS(HQ)/Cons. Duty/14216.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Sare Samag Realty Pvt. Ltd., B-67, Sarita Vihar, New Delhi-110 044 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 20,076 (Rupees twenty thousand seventy six) only on the aggregate value of shares of ₹ 2,00,76,000 for issue of equity shares bearing distinctive Nos. 52583459 to 54591058 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1971)/मु. स. ( मुख्या. )/स.शु./14221.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के

मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री मीको इण्डिया प्रा. लि., ए-102, मेफेयर अपार्टमेन्ट, आई. पी. एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110092 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 5,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1 से 50000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 500 (रुपये पाँच सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (1971)/COS(HQ)/Cons. Duty/14221.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Meeco India Pvt. Ltd., A-102, Mayfair Apartment, I. P. Extension, Delhi-110092 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 500 (Rupees five hundred) only on the aggregate value of shares of ₹ 5,00,000 for issue of equity shares bearing distinctive Nos. 1 to 50000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1972)/मु. स. (मुख्या. )/स.शु./14222.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री मीको इण्डिया प्रा. लि., ए-102, मेफेयर अपार्टमेन्ट, आई. पी. एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110092 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 70,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 50001 से 250000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 7000 (रुपये सात हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (1972)/COS(HQ)/Cons. Duty/14222.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Meeco India Pvt. Ltd., A-102, Mayfair Apartment, I. P. Extension, Delhi-110092 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 7000 (Rupees seven thousand) only on the aggregate value of shares of ₹ 70,00,000 for issue of equity shares bearing distinctive Nos. 50001 to 250000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1977) मु. स. ( मुख्या. ) /स.शू. / 14229.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री अल्फा मेगास्ट्रक्चर प्रा. लि., जी-66/2, पहली मंजिल, गौतम नगर, नई दिल्ली-110 019 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 2,75,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10001 से 57910 है, पर लगने

वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 27,500 (रुपये सत्ताइस हजार पाँच सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (1977)/COS(HQ)/Cons. Duty/14229.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Alpha Megastructure Pvt. Ltd., G-66/2, First Floor, Gautam Nagar, New Delhi-110019 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 27,500 (Rupees twenty seven thousand five hundred) only on the aggregate value of shares of ₹ 2,75,00,000 for issue of equity shares bearing distinctive Nos. 10001 to 57910 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1970) मु. स. ( मुख्या. ) त्स.शु. /14230. — गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री आईएल एण्ड एफएस स्कीलस डवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लि., दूसरी मंजिल, निर्यात भवन, राव तुला राम मार्ग, आर्मी हॉस्पीटल रिसर्च एण्ड रेफरल के सामने, नई दिल्ली-110057 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,08,75,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 50001 से 1137500 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 10,875 (रुपये दस हजार आठ सौ पिच्चहत्तर) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (1970)/COS(HQ)/Cons. Duty/14230.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. IL & FS Skills Development Corporation Ltd., 2nd Floor, Niryat Bhawan, Rao Tula Ram Marg, Opp. Army Hospital Research & Referral, New Delhi-110057shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 10,875 (Rupees ten thousand eight hundred seventy five) only on the aggregate value of shares of ₹ 1,08,75,000 for issue of equity shares bearing distinctive Nos. 50001 to 1137500 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1960)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./14231.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री सेफ ट्रेवल्स एण्ड टूरिज्म प्रा. लि., 106, मेन शंकर रोड मार्केट, तीसरी मंजिल, न्यू राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली-110 060 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1 से

10000 है, पर लगने वाले मुद्रांक श्रुल्क ₹ 100 (रुपये एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्तं कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1960)/COS(HQ)/Cons. Duty/14231.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Safe Travels & Tourism Pvt. Ltd., 106, Main Shankar Road Market, 3rd Floor, New Rajinder Nagar, New Delhi-110060 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 100 (Rupees one hundred) only on the aggregate value of shares of ₹ 1,00,000 for issue of equity shares bearing distinctive Nos. 1 to 10000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1959)/मु. स. ( मुख्या. )/स.शु./14232.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री और्थेन्टिक हैण्डीक्राफ्ट एक्सपोर्टिंग प्रा. लि., 106, मेन शंकर रोड मार्केट, तीसरी मंजिल, न्यू राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली-110060 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,00,000 मूल्य के इिक्वटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1 से 10000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 100 (रुपये एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1959)/COS(HQ)/Cons. Duty/14232.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Authentic Handicraft Exporting Pvt. Ltd., 106, Main Shankar Road Market, 3rd Floor, New Rajinder Nagar, New Delhi-110060 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 100 (Rupees one hundred) only on the aggregate value of shares of ₹ 1,00,000 for issue of equity shares bearing distinctive Nos. 1 to 10000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1964)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./14233.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री क्लियरमेडी हेल्थकेयर प्रा. लि., 1309, चिरंजीव टावर, 43, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 94,79,100 मूल्य के इिक्वटी शेयरों जिनकी मुख्क संख्या 10001 से 57910 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 9,480 (कपये नौ हजार चार सौ अस्सी) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1964)/COS(HQ)/Cons. Duty/14233.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Clearmedi Healthcare Pvt. Ltd., 1309, Chiranjiiv Tower, 43, Nehru Place, New Delhi-110019 shall pay a consolidated stamp duty of ₹9,480 (Rupees nine thousand four hundred eighty) only on the aggregate value of shares of ₹94,79,100 for issue of equity shares bearing distinctive Nos. 10001 to 57910 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1975) / मु. स. ( मुख्या. ) / स.शु. / 14234. — गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री केम्पर एक्सट्रेक्शन एण्ड फिल्ट्रेशन सिस्टम्स इण्डिया प्रा. लि., 205, जैन भवन, 18/12 डब्ल्यू ई.ए. करोल बाग, नई दिल्ली–110005 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 11,93,700 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 420014 से 539383 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 1,194 (रुपये एक हजार एक सौ चौरानवे) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1975)/COS(HQ)/Cons. Duty/14234.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Kemper Extraction & Filtration Systems India Pvt. Ltd., 205, Jain Bhawan, 18/12, W.E.A. Karol Bagh, new Delhi-110005 shall pay a consolidated stamp duty of ₹1,194 (Rupees one thousand one hundred ninety four) only on the aggregate value of shares of ₹11,93,700 for issue of equity shares bearing distinctive No. 420014 to 539383 to be issued by the said company.

सं फा. 10 (1968) / मु. स. ( मुख्या. ) / स.शु. / 14235. — गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री पैसिफिक इण्टीरियर्स इण्डिया प्रा. लि., नौरंग हाउस, मायालैण्ड सेन्टर, 111 एण्ड 112, पहली मंजिल, 21, के. जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 18,78,900 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 180492 से 368381 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 1,879 (रुपये एक हजार आठ सौ उन्नासी) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1968)/COS(HQ)/Cons. Duty/14235.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Pacific Interiors India Pvt. Ltd., Naurang House, Mayaland Centre, 111 & 112, 1st Floor, 21 K. G. Marg, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of ₹1,879 (Rupees one thousand eight hundred seventy nine) only on the aggregate value of shares of ₹18,78,900 for issue of equity shares bearing distinctive Nos. 180492 to 368381 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 ( 1974 ) मु. स. ( मुख्या. ) स.शु. / 14236.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री टेरेक्स इण्डिया प्रा. लि., 108-110, पहली मंजिल, नारायण मंजिल, 23-बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 44,40,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 142351717 से 186751716 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 4,44,000 (रुपये चार लाख चळ्यालीस हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1974)/COS(HQ)/Cons. Duty/14236.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Terex India Pvt. Ltd., 108-110, First Floor, Narain Manzil, 23-Barakhamba Road, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of ₹4,44,000 (Rupees four lakh forty four thousand) only on the aggregate value of shares of ₹44,40,00,000 for issue of equity shares bearing distinctive Nos. 142351717 to 186751716 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 ( 1976 )/मु. स. ( मुख्या. )/स.शु./14237.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री डायना रासायन उद्योग प्रा. लि., जी-66/2, पहली मंजिल, गौतम नगर, नई दिल्ली-110019 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 4,85,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 160201 से 645200 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 48,500 (रुपये अडतालीस हजार पाँच सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1976)/COS(HQ)/Cons. Duty/14237.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Dyna Rasayan Udyog Pvt. Ltd., G-66/2, First Floor, Gautam Nagar, New Delhi-110019 shall pay a consolidated stamp duty of ₹48,500 (Rupees forty eight thousand five hundred) only on the aggregate value of shares of ₹4,85,00,000 for issue of equity shares bearing distinctive Nos. 160201 to 645200 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 ( 1973 )/मु, स. ( मुख्या. )/स.शु./14238.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री संतोष ओवरसीज लि., जी-321, चिराग दिल्ली, नई दिल्ली-110017 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 3,00,00,0000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 15000001 से 18000000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 30,000 (रुपये तीस हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (1973)/COS(HQ)/Cons. Duty/14238.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1890 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Samosh Overseas Ltd., G-321, Chirag Delhi, New Delhi-110017 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 30,000 (Rupees thirty thousand) only on the aggregate value of shares of ₹ 3,00,00,000 for issue of equity shares bearing distinctive Nos. 15000001 to 18000000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 ( 1963 )/मु. स. ( मुख्या. )/स.शु./14240.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक
24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899
(1899 का 2) की धारा 9 की (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों
का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य
राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री क्लियरव्यू हेल्थकेयर
प्रा. लि., 1309, चिरंजीव टावर, 43, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019
द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 4,98,75,650 मूल्य के इक्विटी शेयरों
जिनकी पृथक संख्या 10001 से 391000 है, पर लगने वाले मुद्रांक
शुल्क ₹ 49,876 (रुपये उन्नचास हजार आठ सौ छिहत्तर) केवल के
समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश से, आर. के. मिश्रा, विशेष महानिरीक्षक (पंजीकरण) F. No. 10(1963)/COS(HQ)/Cons. Duty/14240.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Clearview Healthcare Pvt. Ltd., 1309, Chiranjiv Tower, 43, Nehru Place, New Delhi-110019 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 49,876 (Rupees forty nine thousand eight hundred seventy six) only on the aggregate value of shares of ₹ 4,98,75,650 for issue of equity shares bearing distinctive Nos. 10001 to 391000 to be issued by the said company.

By Order of Chief Controlling Revenue Authority Govt. of National Capital Territory of Delhi,

R. K. MISRA, Special Inspector General (Registration)

#### स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अधिसूचना

दिल्ली, 30 जून, 2011

सं. फा. 1(136)(1)ईईपी/एलएफए/डीएसएसीएस/2008/3420—3462.—दिनांक 23 जून, 2008 की अधिसूचना सं 01 (136) 1/ईईपी/एलएफए/डीएसएसीएस/2008/2541—2602 के ऑशिक आशोधन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली राज्य एड्स परिषद के संविधान में निम्नलिखित सदस्यों को सम्मिलित करने के लिए ऑशिक संशोधन करती है:—

- क्रम संख्या 33 निदेशक, समाज कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ।
- क्रम संख्या 34 निदेशक, परिवार कल्याण निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ।
- क्रम संख्या 35 निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ।
- क्रम संख्या 36 मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ।
- क्रम संख्या 37 निदेशक, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ।
- क्रम संख्या 38 डीन, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ।

- क्रम संख्या 39 उपायुक्त (उत्तरी पूर्व जिला), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ।
- क्रम संख्या 40 उपायुक्त (केन्द्रीय जिला), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ।
- क्रम संख्या ४१ संयुक्त आयुक्त, श्रम विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ।
- क्रम संख्या 42 नोडल अधिकारी, पुलिस विभाग ।
- क्रम संख्या 43 श्रमिक रैफरल केन्द्र का प्रतिनिधि, एच. आई.
   वी. के साथ जी रहे लोगों के लिए ।

आर. के. श्रीवास्तव, प्रधान सचिव

## DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2011

F. No. 1(136)(1) EEP/LFA/DSACS/2008/3420—3462.—In partial modification of Notification No. 1(136)/(1)/ EEP/LFA/DSACS/2008/2541—2602 dated 23rd June, 2008, the Govt. of NCT of Delhi is pleased to partially amend the constitution of Delhi State AIDS Council: A new serial No. as under is inserted:

- Sr. No. 33 Director, Social Welfare, GNCTD.
- Sr. No. 34 Director, Directorate of Family Welfare, GNCTD.
- Sr. No. 35 Director (Women and Child Development), GNCTD
- Sr. No. 36 Mission Director (NRHM, GNCTD).
- Sr. No. 37 Director, Directorate of Health Service, GNCTD.
- Sr. No. 38 Dean, MAMC, GNCTD.
- Sr. No. 39 Deputy Commissioner (North East), GNCTD.
- Sr. No. 40 Deputy Commissioner, (Central), GNCTD.
- Sr. No. 41 Joint Commissioner, Labour Deptt., GNCTD.
- Sr. No. 42 Nodal Officer, Police Deptt.
- Sr. No. 43, Representative of SRC for People Living with HIV/AIDS(PLHAs).

R. K. SRIVASTVA, Principal Secy.